भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1114
गुरुवार, 5 फ़रवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का विस्तार

1114. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बढ़ते यात्री और कार्गो यातायात की आवश्यकता को देखते हुए मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के विस्तार का प्रस्ताव रखती है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी तट पर अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए मंगलुरु को लॉजिस्टिक्स हब अथवा व्यापार और संपर्क के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्षद्वीप के लिए हवाई संपर्क के प्रमुख केंद्र के रूप में मंगलुरु को बढ़ावा देने हेतु, नई उड़ान सेवाओं के आरंभ तथा अवसंरचना विकास सहित, सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यात्रियों और कार्गो के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने हेतु उक्त हवाई अड्डे को अन्य परिवहन साधनों के साथ एकीकृत करने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमजीआईएएल) को पट्टे पर दिया है। मंगलुरु हवाईअड्डे पर 9,000 मीट्रिक टन क्षमता का कार्गो टर्मिनल है, जिसका वर्तमान उपयोग स्तर, स्थापित क्षमता का लगभग 50-55% है। मंगलुरु हवाईअड्डे पर मौजूदा टर्मिनल भवन 48,574 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) की क्षमता के साथ बनाया गया है।

हवाईअड्डे की अवसंरचना का विस्तार/आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसे यातायात मांग, भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए प्रचालनात्मक आवश्यकताओं और एयरलाइनों से प्राप्त मांग, आदि के आधार पर हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) : वर्तमान में मंगलुरु हवाईअड्डे को लक्षद्वीप से जोड़ने वाली कोई उड़ान नहीं है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही, भारतीय घरेलू विमानन को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों (आरडीजी) के अनुपालन के अधीन किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने, अपनी इच्छानुसार सेवा प्रदान करने हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित उड़ान अनुसूची के अनुसार परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) : मंगलुरु हवाईअड्डा शहर से लगभग 7 किमी दूर स्थित है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लगभग 15 किमी दूर स्थित है। मंगलुरु जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 11 किमी और मंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन हवाईअड्डे से लगभग 14 किमी दूर है। इसके अलावा, मंगलुरु हवाईअड्डे तक एनएच-66 सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है।
